ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक उद्योग./2018/2911
दिनॉकः 13.07.2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित विभिन्न आकार के भूखण्डों के निर्माण हेतु समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 112वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 07.07.2018 में मद संख्या–112/12 पर निम्नानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गयाः–

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न आकार के आबंटित भूखण्डों के निर्माण हेतु समय का निर्धारण लीजडीड की तिथि से 18 माह दिये जाने का प्राविधान है । ग्रेटर नौएडा के औद्योगिक क्षेत्र में 250 वर्गमीटर से लेकर मेगा यूनिट 110 एकड तक के भूखण्ड आबंटित है । परन्तु प्राधिकरण नीति के अनुसार लीजडीड निष्पादन की तिथि से समस्त आकार के भूखण्डों के निर्माण हेतु 18 माह का समय निर्धारित है । बडी इकाईयॉ जिनका क्षेत्रफ़ल 10000 वर्गमीटर से अधिक है, को भवन निर्माण हेतु 18 माह का समय दिया जाना औद्योगिक विकास एवं व्यवहारिक दृष्टि से कम है। नौएडा प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में समस्त आकार के भूखण्डों के लिए निर्माण/कियाशील का समय 36/48 माह प्राविधानित है। ग्रेटर नौएडा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से नये आबंटन में विभिन्न आकार के औद्योगिक भूखण्डों की लीजडीड के पश्चात भवन निर्माण का समय निम्नानुसार दिया जाना प्रस्तावित हैः–

क0सं0	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	भवन निर्माण हेतु प्रचलित व्यवस्था	भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था
1	250 से 2000 तक	18 माह	24 माह
2	2000 से 10000 तक	18 माह	36 माह
3	10000 से अधिक	18 माह	48 माह

उक्त तालिका के अनुसार नये आबंटनों के लिए प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु समय निर्धारण का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

उक्त कार्यालय आदेश प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के कम में निर्गत किये जा रहें ।

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक (उद्योग)

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी0)महोदय के सूचनार्थ ।
3. वैयक्तिक सहायक को विशेष कार्याधिकारी(वी0) महोदया के सूचनार्थ
4. प्रबन्धक–1(उद्योग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रबन्धक(सिस्टम) को इस आशय से कि जन सामान्य के सूचनार्थ उक्त आदेश को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

13/7/18

उप महाप्रबन्धक (उद्योग)